

श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक: 19/03/2008



आदेश

क्रमांक/ 85/2008 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृति आवंटन में से जिला बिलासपुर के 53 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्रति श्रमिक रू0 20,000/ के मान से राशि रूपये 10.60 लाख (रू0 दस लाख साठ हजार मात्र) का आवंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि माँग संख्या-18, शीर्ष-2230-श्रम और रोजगार (01)-श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य, (2837)-बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 71/16849/ब-1/चार/2008, दिनांक 12.03.2008 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

(श्रम आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

उप श्रमायुक्त (प्रशासन)

छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक: 19/03/2008

पृ0क्र0/40/दो/लेखा/2007/ 1664

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ-1-15/2007/16, दिनांक 14.03.2008 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि राशि आहरण कर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. कोषालय अधिकारी, बिलासपुर।
7. सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
8. लेखा शाखा (बजट)/आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

o/c

उप श्रमायुक्त (प्रशासन)

छत्तीसगढ़, रायपुर

Tvo-534